कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( )05/विकास/प्रमुवसं/139 दिनांक 7-4-05

परिपत्र

विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यो के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए तथा कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा एक परिपत्र दिनांक 19.11.1996 को जारी किया गया था । विगत वर्षो के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी सवंर्ग के कर्मचारियों को उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु पूर्व में जारी उक्त परिपत्र के पैरा संख्या 7 व 8 को विलोपित कर अब निम्न प्रकार पुनर्स्थापित किया जाता है

<u>अनुच्छेद संख्या 7:-</u> कार्यस्थल का प्रभारी वन रक्षक उक्त कार्य स्थल पर संपादित किये जाने वाले कार्यों के लिए प्राथमिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी होगा । वह कार्य की शत प्रतिशत नपती कर के माप पुस्तिका में इन्द्राज करेगा । कार्यस्थल प्रभारी का नियंत्रक वनपाल माप पुस्तिका में दर्ज कार्य के 60 प्रतिशत भाग का भौतिक सत्यापन करके यह सत्यापन जिन उप खण्डों में की गई उनके क्रमांक वार पर पाई गई वास्तविक कार्य की मात्रा का इन्द्राज माप पुस्तिका में अपने हस्ताक्षरों से करेगा । तत्पश्चात् कार्य के शेष 40 प्रतिशत भाग की उप खण्डवार भौतिक सत्यापन प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा की जाकर उपखण्ड क्रमांक वार सत्यापित वास्तविक मात्रा का इन्द्राज स्वयं के हस्ताक्षर से माप पुस्तिका में की जायेगी ।
इस प्रकार माप पुस्तिका में कार्य स्थल के प्रभारी वन रक्षक द्वारा किये गये कार्य के प्रथमतया अंकित मात्रा की शत प्रतिशत उप खण्डवार भौतिक सत्यापन प्रभारी वनपाल एवं क्षेत्रीय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

<u>अनुच्छेद संख्या 8 :-</u>
प्रत्येक कार्य स्थल का उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक द्वारा समय-समय पर अधिकाधिक निरीक्षण किया जाकर सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्पादित हो रहा भौतिक कार्य निर्धारित तकनीकी गुणवत्ता (Specification) के अनुरूप हो रहा है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य स्थल के क्रमशः 20 प्रतिशत व 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उप खण्ड़ों का भौतिक सत्यापन रैडम चयन किया जाकर क्रमशः सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा । उक्त सत्यापित उप खण्ड़ों का उल्लेख प्लान्टेशन जनरल में संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा ।
तथापि, अपने अधीन सम्पादित हो रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अथवा वित्तीय अनियमितता के लिए उप संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पूर्णतः उत्तदरदायी होगा ।

ह/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर